भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 1756/2010

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जयपुर -- अपीलार्थी

बनाम

श्री फूल चंद (मृतक), उसके विधिक प्रतिनिधि के द्वारा -- प्रत्यर्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति अभय मोहन सप्रे,

यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के द्वारा खंड पीठ विशेष अपील (रिट) याचिका 912/1998 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 12.02.2008 के खिलाफ प्रस्तुत की गयी जिसमे उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील खारिज कर दिया । उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5534/1996 में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.07.1998 को बरक़रार रखा।

2. इस मामले के निपटारे के लिए, कुछ तथ्य जिसमे एक लघु प्रश्न शामिल है, का उल्लेख करना

आवश्यक है।

3. इस अपील में निपटारे के लिए एक लघु प्रश्न सामने आया है जिसमे कहा गया है कि क्या निचली अदालत जैसे उच्च न्यायालय और श्रम न्यायालय के द्वारा मृतक कर्मचारी को पूरी मजदूरी प्रदान किया जाना न्यायोचित है जिसमे उन्होंने उसके निलंबन आदेश को यह कह कर खारिज कर दिया कि वो गलत कानून है और इसके फलस्वरूप अपीलार्थी को पुनः सेवा में बहाल करने का आदेश दिया।

4. अपीलार्थी राजस्थान राज्य का एक राज्य सड़क परिवहन निगम है। मृतक फूल चंद अपीलार्थी के यहाँ चालक के रूप में कार्यरत था।

5. फूल चंद जब सेवारत थे, उन्हें कई अवसरों पर सेवा में लापरवाही का दोषी पाया गया और इस पर विभागीय कार्यवाही हुई जिसके तहत उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उनके खिलाफ यह आरोप लगाया गया कि मृतक कर्मचारी नियमित रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित था, जिसे साबित किया गया।

6. अपनी बर्खास्तगी से आक्षेपित हो कर फूल चंद ने श्रम न्यायालय में आवेदन दाखिल किया। श्रम न्यायालय द्वारा अपने अवार्ड दिनांक 26.02.1996 में फूल चंद के खिलाफ आरोप को साबित पाया परन्तु सजा की मात्रा में हस्तक्षेप किया।

7. श्रम न्यायालय ने सेवा से बर्खास्तगी की सजा को बदल कर "चार वार्षिक पदक्रम वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक/ख़त्म" किया और आदेश दिया कि मृतक कर्मचारी को पुनः बहाल कर, उन्हें 13 वर्ष की अवधि की पूरी मजदूरी प्रदान की जायेगी(16.11.1983 to 24.02.1996)।

8. श्रम न्यायालय के इस अवार्ड से व्यथित होकर, अपीलार्थी (नियोक्ता) ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अपने आदेश दिनांक 14.07.1998 में इसे खारिज कर दिया और श्रम न्यायलय के द्वारा पारित अवार्ड को यथावत रखा गया।

9. एकल पीठ के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने इसी उच्च न्यायालय के समकक्ष पीठ में अपील दायर की। अपने आलोच्य आदेश में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विशेष अपील को खारिज कर दी और एकल पीठ के द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखे जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी नियोक्ता ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका अपील दाखिल की।

10. पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओ को सुनने और वाद के अभिलेख को देखने के बाद, हम वाद को आंशिक रूप से अनुमति देते हैं और आलोच्य आदेश को संशोधित करते हुए, मृतक कर्मचारी(उनके कानूनी प्रतिनिधि) के पिछले पूर्ण मजदूरी की जगह 50 % मजदूरी देने का आदेश देते हैं।

11. हमारे विचार में, निचली न्यायालय इसे देखने में पूरी तरह विफल रहा कि न्यायालय बर्खास्तगी/निलंबन के आदेश को अपास्त करने के निष्कर्ष के तौर पर अप्रदत्त मजदूरी को प्रदान करने का आदेश नहीं दे सकता। अन्य शब्दों में कहें, कर्मचारी को कोई अधिकार नहीं है कि वो नियोक्ता से अपने अप्रदत्त मजदूरी को अधिकार के तौर पर मांग करे क्योंकि न्यायालय ने उसके पक्ष में निलंबित आदेश को अपास्त किया है और उसे पुनः बहाल करने का आदेश दिया है।

12. ऐसे मामलों में, कर्मचारी के लिए यह जरुरी है कि वे साक्ष्य के साथ प्रस्तुत हो और साबित करें कि वे निलंबन के बाद कहीं और काम करके, कोई फायदा नहीं लिया और उसके पास अपने तथा परिवार की देखरेख करने के लिए, कमाई का कोई जरिया नहीं था। नियोक्ता को भी यह अधिकार है कि वह कर्मचारी के खिलाफ अन्यथा साबित करे अर्थात्, कर्मचारी उस प्रासंगिक अवधि के दौरान, सेवारत था और लाभ ले रहा था और इस प्रकार से वह अप्रदत्त मजदूरी पाने का अधिकारी नहीं है। हालाँकि, इसे साबित करने का प्रारंभिक दायित्व कर्मचारी के ऊपर है।

13. कुछ मामलों में, न्यायालय अप्रदत्त मजदूरी को देने से पूरी तरह से इनकार कर सकता है, कुछ मामलों में, प्रत्येक मामले के तथ्य और साक्ष्य को देखते हुए और अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते आंशिक लाभ दे सकता है। प्रश्न, जैसे कि अप्रदत्त मजदूरी को किस प्रकार तय किया जाना है, अप्रदत्त मजदूरी का अवार्ड पारित करने के समय किन कारकों का ध्यान रखना है तथा प्रारंभिक बोझ किन लोगो पर निहित है आदि को न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामलो में विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया है और इन प्रश्नो को विधिसम्मत निपटाया भी गया है। । वास्तव में, यह अब अनिर्णीत विषय नहीं है। इस तरह के मामले हैं, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड बनाम (श्रीमती)

जरीना बीई , (2003) 6 एससीसी 141, जी.एम. हरयाणा रोडवेज बनाम रुधन सिंह, (2005) 5 एससीसी 591, उत्तर प्रदेश राज्य ब्रासवैयेर निगम बनाम उदय नारायण पांडे, (2006) 1 एससीसी 479, जे.के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम के.पी. अग्रवाल और अन्य (2007) 2 एससीसी 433, महानगर परिवहन निगम बनाम वी वेंकटेशन, (2009) 9 एससीसी 601, जगबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और अन्य (2009) 15 एससीसी 327) और दीपाली गुंडू सुरवसे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय (डी.एड.) और अन्य (2013) 10 एससीसी 324।

14. इसलिए, न्यायालय को कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है जो उपरोक्त मामले में निर्धारित किए गए हैं तथा इस पर निष्कर्ष पहुंचना कि क्या यह अप्रदत्त मजदूरी के अवार्ड के लिए एक उपयुक्त मामला है और, यदि हां, तो किस हद तक।

15. अब इस मामले के तथ्य पर आते है, यहां हम पाते हैं कि न श्रम न्यायालय ने और न ही उच्च न्यायालय ने उक्त कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखा । इसी तरह, किसी भी पक्ष द्वारा ना ही कोई प्रार्थना किया, ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर महत्त्वपूर्ण तथ्य को साबित किया है जिससे न्यायालय

उन्हें अप्रदत्त मजदूरी के लिए तैयार हो।

16. दूसरी ओर, हम पाते हैं कि श्रम अदालत ने केवल एक पंक्ति में अपीलार्थी (नियोक्ता) को निर्देश दिया कि वह मृतक कर्मचारी को लम्बी अवधि के अप्रदत्त मजदूरी का भुगतान करे और उसे पुनः सेवा में बहाल करे ।

17. इसलिए, हम इस तरह से निचली अदालतों द्वारा कर्मचारी के पक्ष में पारित पूर्ण अप्रदत्त मजदूरी पर सहमति नहीं दे सकते हैं जो हमारी राय में, निश्चित रूप से अपीलार्थी(नियोक्ता) के खिलाफ पक्षपात है ।

18. हालांकि, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियाँ के मद्देनजर, मामले के निपटारे में लगी लम्बी अवधि, मृतक कर्मचारी द्वारा इसमें खर्च हुए पैसे और उनके मृत्यु के पश्चात उनके विधिक प्रतिनिधि के सम्बन्ध में इस तथ्य को पाते हैं कि कर्मचारी फूलचंद की मृत्यु हो गयी है और न्यायहित में हम यह उचित और न्यायसंगत पाते हैं कि प्रत्यर्थीगण(स्व. फूल चाँद के विधिक प्रतिनिधि) को कुल प्रदत्त मजदूरी का 50% प्रदान की जाय।

19. संविधान के अनुच्छेद 142 में निहित अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए, अप्रदत्त मजदूरी प्रदान करने के सम्बन्ध में लागू विधि सिद्धांत को दोहराते हुए, पक्षकारो को पर्याप्त न्याय दिया जा सके।

20. उपरोक्त चर्चा की रैशनी में, इस अपील को स्वीकार करते हुए आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। आलोच्य आदेश को ऊपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित किया गया है।

21. राशि को गणना करके, इस निर्णय के 3 माह के भीतर उचित पड़ताल करने के बाद, अपीलार्थी उसे प्रत्यर्थी को प्रदान करे ।

न्यायमूर्ति अभय मोहन सप्रे

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर

नई दिल्ली

20 *सितम्बर* 2018

खंडन (डिस्क्लेमर): स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सिमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्राधिकारिता करेगा।
